

2026:AHC:53232

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 9591/2026

विश्राम

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 47 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: अमर सिंह यादव, जवाहर लाल यादव

प्रतिवादि(यों) के अधिवक्ता

:

न्यायालय संख्या – 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
2. उपर्युक्त पारित किए जाने वाले आदेश के दृष्टिगत, प्रतिवादीगण को नोटिस निर्गत कर इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि प्रतिवादि/प्रतिवादीगण उक्त आदेश से व्यथित होते हैं, तो उन्हें आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
3. वर्तमान याचिका में याची द्वारा मांगा गया मुख्य अनुतोष यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), तहसील मार्टिनगंज, जनपद आजमगढ़ को निर्देशित किया जाए कि वह वाद संख्या 3230 वर्ष 2024 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी2024150660003230) का निस्तारण यथाशीघ्र करे।
4. मामला प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष काफी समय से लंबित है तथा पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, किन्तु आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण करते हुए प्रतिवादी संख्या 2/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), तहसील मार्टिनगंज, जनपद आजमगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वह उपर्युक्त वाद का निस्तारण **विधि के अनुसार यथाशीघ्र** करे, बिना अनावश्यक स्थगन दिए, बशर्ते कि कोई विधिक बाधा न हो।



6. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई निर्णय नहीं दिया है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

16 मार्च, 2026

Translated Version. Not for Legal Use.